

FORM No. III
फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत 342005 अधिकारी कोरापट मुकाम कोरापट
5 नमामड वनाम 272 काट

किस्म मुकदमा जायना पर आवाज सन 2020
राजस्थान क्र 2000 अधिनियम धारा 136

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
16.10.2020	<p>जायना पर आवाज धारा 136 L.R. Act ख 21 फ्त फ्त के तहत माफत बकीर की राजपति स्थि एवम्कर द्वारा फुलत किया गया इव 2 फिट्ट किया गया। इली द्वारा जायना फ्त मे निवदन किया गया। कि इली के नाम से बफे येही गण कोरिया के खेत ख. नम्बर 242/123 के 8.46 हेक्टर व खखस खखस नम्बर 171 मे 12.6500 हेक्टर खमेरापी इडि क्रमि चली डा रही है। जिसमे इली के पिता का नाम एकमचु पुत्र गोपीचन्द्र लिपिकीय गुरवठ व शखन से इव रिफार्ड शखरच है जबकि इली के पिता का नाम वादतन मे गोपीचन्द्र के इयात पर जतननाल कोरिया है तथा इली एवम्कर रिफार्ड इस्तरनी कखामकर इली के</p>	

राजस्थान अधिकारी
कोरापट जिला-बीकानेर

PTC

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुवम की तामील
में जारी हुए

पिता का नाम जो वतमाल शिवाड शहर में
गोपीचंद्र वर्मा हैं के स्थान पर जलनवाल डोषिया
कथना जाता है जिसमें प्रती डाय वतोर
वतोर के प्रती स्वयं ना आघार फाई नम्बर
678368 08 2116 फोटो स्टेटे प्रती बैंक पासबुक
स्वयं संख्या 51090 240 232 स्टेटे बैंक ऑफ
इंडिया शाखा इन्डू व यथान काई स्टेटे सिंग
को शक्ति मिलत है।

इसमें प्रमाण पत्र में वर्णित तथ्यों के आधारों का
उत्तरांतर किया।

उसमें प्रती डाय स्टेटे प्रमाण पत्र खरीद किया
जाता है एवं जोशे दिना पता है कि नम्बर डोषी
गणम कोठिया के खेत संख्या नम्बर 242/173 में
8.48 हेक्टेयर व खेत 171 की 12.6540 हेक्टेयर
खेतों की इति मिति में प्रती के पिता का नाम गोपीचंद्र
के स्थान पर ही जलनवाल डोषिया किया जाता है।
अर्थात् उसमें इति मिति में शिवाड डुस्सली कर
इकसमच पुत्र गोपीचंद्र पाली डोषिया निवासी
इन्डू तहसील कोणार के स्थान पर इकसमच
पुत्र ही जलनवाल डोषिया जारी डोषिया निवासी
इन्डू तहसील कोणार वर्ज शिवाड शहर कर
शिवाड डुस्सली करने के आदेश सिधे प्राप्त हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स काज

तहसीलदार (उपखण्ड) कोलायत के नाम तहसील जारी
है। जयपुरा पत्र केंद्राल दुमारा हुकर तहसील
तहसील दाखिल इफतद है।

निर्वाच 31/10 दिनांक 16/10/2020 का हुक्म जारी।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-वीकानेर